तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/3/19	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार 3 व 4 की अधीन अभिकथन स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को रिमाण्ड किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा० द० हो।	

अपील इन्तकाल सं0 359 (फौती) ग्राम उदपुरा
तस्दीक– दिनांक 20:02:2002 ग्राम पंचायत उदपुरा तहसील रामगंजमंडी

उपस्थित अधिवक्ता ,

1. श्री हरिप्रकाश सौनी :– वकील अपीलान्ट
2. श्री ए0एच0अंसारी :– वकील रेस्पोडैन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलन्ट द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता एक अपील मेमो इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि ग्राम उदपुरा स्थित कृषि भूमि साबिक ख0नं0 7 की रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा आराजी के संम्बन्ध में बब्बू खां के फौत हो जाने पर फौती इन्तकाल जैर अपील खोला गया –जिसमें वर्णित शजरा में खातेदार बब्बू खां के जिन वारिसान का नाम दर्शाया गया है –वे मृतक खातेदार बब्बू खां के वारिसान नही है –उक्त शजरा मृतक खातेदार बब्बू खां का न होकर बशाम उर्फ बल्लू भाई का है –जिन्है इस अपील में रेस्पो0 नं0 2 लगायत 7 बनाया गया है। मृतक खातेदार बब्बू खां के वारिसान अपीलांट सं0 1 लगायत 8 है। –इससे अप्रसन्न होकर यह अपील निम्न कारणो सहित पेश है:–

(1) यह कि फौती इन्तकाल जैर अपील में वर्णित शजरा पूर्णतया गलत होने से– उक्त इन्तकाल निरस्त किया जाकर पुनः सही शजरा की जांच कर इन्तकाल खोला जाना न्याय हित में आवश्यक है –अन्यथा अपीलांट उक्त आराजी से वंचित हो जावेगे।

(2) यह कि उक्त वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पेतृक संम्पत्ती है। पक्षकारान का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है:–

काले खां–(मृतक)

फरियाद मोहम्मद (पुत्र–मृतक)	बशाम उर्फ बल्लू भाई (पुत्र–मृत्यु दिनांक 1:10:1990)	हनीफ (पुत्र–मृतक)	शहादत (पुत्र–मृतक)
बब्बू खां (पुत्र–मृतक) दिनांक 16:11:2017	(1) सादिक हुसैन–पुत्र (2) सलीम खान–पुत्र (3) अब्दुल खालिक–पुत्र (4) शफीक मोहम्मद –पुत्र	फातमाबाई–बेवा मृत्यु दिनांक12:8:2000	(1)पीरमोहम्मद–पुत्र (2) सदीकनबाई–पुत्री (3) नगीना बाई–पुत्री (4) शमीना बाई–पुत्री

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रामगंजमंडी

(1) फारुख हुसैन–पुत्र
(2) गुलाम अली–पुत्र
(3) शेरबानो –पुत्री
(4) शेख शहनाज–पुत्री
(5) अब्बासी अबेदा–पुत्री
(6) शमीम बानो–पुत्री
(7) शाहिन बानो –पुत्री
(8) फातमा बी –बेवा

(5) अन्नो बी –पुत्री
(6) अजीजनबाई –बेवा

(5) मुमताज बाई–पुत्री
(6) फरियादीबाई–बेवा/फौत

(1) याकूब –पुत्र
(2) मुन्नी –पुत्री
(3) सब्बो –पुत्री
(4) मेहरुनिशा –पुत्री
(5) सलीम बंगम –पुत्री

(नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरा संवत 2053 से 2056 संलग्न हैं)

(3) यह कि फौती इन्तकाल जैर अपील में त्रुटिवश खातेदार बशाम उर्फ बल्लू भाई का नाम खाते में दर्ज होने से रह गया है। –जिसका नाम नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरा संवत 2053 से 2056 में दर्ज रहा है।

(4) यह कि तद्नुसार उक्त फौती इन्तकाल जैर अपील में हुई त्रुटि के कारण वर्तमान जमाबन्दी में भी खातेदारान के नाम एवं हिस्सा गलत दर्ज हो गया है। – जिसे भी फौती इन्तकाल जैर अपील की पुनः जांच कर सही शजरा दर्शाये जाने एवं दुरुस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। –उक्त वादग्रस्त आराजी का वर्तमान खसरा नं0 8 रकबा 2'56 हैक्टर है। (नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम उदपुरा दिनांक 7:7:2005 से 06:7:2025 तथा नकल वर्तमान जमाबन्दी संवत 3074 से 2077 संलग्न है।

(5) यह कि फौती इंन्तकाल जैर अपील सं0 359 ग्राम उदपुरा तस्दीक– दिनांक 20:02:2002_न्याय, विधि एवं संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है।

(6) यह कि खातेदार मृतक बब्बू खा अनपढ कृषक थे –इस कारण उन्है उक्त त्रुटि का ज्ञान नही हो सका। **दिनांक 16:11:2017 को मृतक खातेदार बब्बू खां का देहान्त हो गया है।** इसके पश्चात अपीलांट्स दिनांक 13:07:2018 को मृतक खातेदार का बब्बू खां का फौती इन्तकाल खुलवाने के लिये हल्का पटवारी जी के पास गये तो हल्का पटवारी जी ने कहा कि मृतक खातेदार का बब्बू खां का फौती इंतकाल सं0 359 ग्राम उदपुरा तस्दीक– दिनांक 20:02:2002_तो **पहले से ही खोला जाकर चुका है।** अपीलांट्स ने निवेदन किया कि खातेदार का बब्बू खां की मृत्यु दिनांक 16:11:2017 को हुई है –उनकी मृत्यु से पहले फौती इंतकाल कैसे खोला जा सकता है।

20/3/24

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रामगंजमंडी

(7) यह कि अपीलांट ने उसी दिन दिनांक 13:07:2018 को हल्का पटवारी जी से फौती इंतकाल जैर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर दिनांक 20:07:2018 को अपने वकील साहब को दिखाई तो अपीलांट को प्रथम बार जानकारी हुई कि खातेदार बशाम उर्फ बल्लू भाई की मृत्यु होने पर –उनका नाम खाते से हटाते हुए त्रुटिवश **मृतक खातेदार**–बशाम उर्फ बल्लू भाई के बजाय **जीवित खातेदार**–बब्बू खा का फौती इंतकाल जैर अपील खोल दिया गया है। तथा उक्त इंतकाल सं0 359 ग्राम उदपुरा तस्दीक– दिनांक 20:02:2002 –में मृतक–बशाम उर्फ बल्लू भाई के वारिसान का सही शजरा बना कर –उक्त शजरे को **जीवित खातेदार**–बब्बू खा का शजरा होना दर्शा दिया गया है। जिससे आगामी राजस्व रेकार्ड में बशाम उर्फ बल्लू भाई के वारिसान के पिता का नाम भी त्रुटिवश बब्बू खा दर्ज हो गया है।

(8) यह कि उक्त इंतकाल से पूर्व तक राजस्व रेकार्ड में पक्षकारान के सही नाम दर्ज चले आ रहे है। नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरा संवत 2057 से 2960 संलग्न है।

(9) यह कि यह अपील प्रथम बार जानकारी के दिनांक 20:07:2018 से अवधि मध्य, उचित न्याय शुल्क पर पेश है –जिसका श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। डिले कण्डोन का आवेदन प्रथक से पेश है।

(10) यह कि अन्य कारण बवक्त बहस मोखिक निवेदन किये जावेगे

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि– अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर फौती इन्तकाल जैर अपील सं0 359 ग्राम उदपुरा तस्दीक– दिनांक 20:02:2002 को निरस्त फरमाया जाकर –उक्त इतकाल को– तहसीलदार साहब रामगंजमंडी/उप तहसीलदार साहब चेचट के नाम पुनः जांच कर–मृतको के सही वारिसान के नाम से इंतकाल खोले जाने एवं तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में उनके नामो का सही रुप से इन्द्राज किये जाने हैतु आदेश प्रदान किया जावे।

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडैन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडैन्ट की तरफ से श्री अब्दुल हलीम अंसारी विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा प्रस्तुत किया गया।

अपील अपीलान्ट पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। दोराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अपील अपीलान्ट

स्वीकार करने का निवेदन किया गया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट्स को इस पर आपत्ति नहीं है।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। अपील मेमों के तथ्य, वॉच्छित अनुतोषादि , तथा अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत उदपुरा दिनॉक 20.02. 2002 का भली भॉति अवलोकन किया गया। जहॉ तक अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि उक्त नामान्तरकरण में बब्बू खॉ के फौत होने पर बब्बू खॉ का जो शजरा दर्शाया गया है वह बशाम उर्फ बल्लू भाई का शजरा हैं । अपीलाधीन आदेश में शजरा गलत होने से अपील स्वीकार की जावे क्योकि बब्बू खॉ के जीवनकाल में ही उक्त आदेश से बब्बू खॉ को मरा बता कर प्रकरण वर्णित अपीलाधीन आदेश से भूमि बब्बू के वारिसान की बजाया बशाम उर्फ बल्लू के वारिसान के नाम पर दर्ज कर दी गई है। बब्बू खॉ की मृत्यु होने पर जब अपीलान्ट द्वारा बब्बूखॉ के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाना चाहा तो पता चला कि जीन तो बशाम के वारिसान के नाम पर दर्ज कर दी गई है। जिस समय बब्बूखॉ का फोती नामा0 दर्ज किया उस समय वह जिन्दा थे। उनकी मृत्यु 16.11.2017 में हुई तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण 2002 का है। उक्त फौती इन्तकाल में बशाम उर्फ बल्लू भाई का नाम भी दर्ज होने से रह गया है।

अपीलाधीन नामान्तरकरण पर अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर दिया हो ऐसा प्रमाणित नहीं है। साथ ही साथ बब्बूखॉ की मृत्यु दिनॉक 16.11.2017 को होना मृत्यु प्रमाण पत्र से जाहिर आता है। बशाम उर्फ बल्लू भाई की मृत्यु 1.1.1990 को होने से बशाम के स्थान पर बब्बूखॉ को मृत मान कर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया है।

पूर्व में खसरा नम्बर 7 पर बब्बू खॉ , फरियाद मोहम्मद , शहादत , बशाम पिता कालेखॉ का नाम था और अपीलाधीन नामा0 में बशाम का नाम भी दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के पालना के अभाव के साथ साथ तकनीकि त्रुटियॉ भी प्रतीत होती है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रामगंजमंडी

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर यह आदेश दिये जाते है कि अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश (ग्राम पंचायत उदपुरा से प्रमाणित) नामान्तरकरण नम्बर 359 तारीख 20.02.2002 वाके माल मोजा उदपुरा को अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को इन दिशा निर्देश सहित प्रतिपेषित किया जाता है कि वे पक्षकारों को अपने अपने साक्ष्यादि प्रस्तुत करने के युक्ति–युक्त अवसर देकर पुनः नवीन सिरे से विधि के प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित करें। प्रकरण का तीन माह में निस्तारण किया जावे।

पक्षकार दिनॉक 23 /04/2019 को न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी में उपस्थित हो।

25/3/19

(चिमनलाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

निर्णय आज दिनॉक 25.03.2019 को मैरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

25/3/19

(चिमनलाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी